संख्या– 119 / 33(79) / 2015टीसी

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
संतकबीर नगर।

राजस्व अनुभाग–10 लखनऊ : दिनांक : 17 जनवरी, 2022

विषयः जनपद संतकबीरनगर में तैनात आपदा विशेषज्ञ के मानदेय का भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक संख्या–8982 / आपदा सहायक / 2021–22 दिनांक 28.12.2021 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जिला अपदा प्रबन्ध प्राधिकरण, संतकबीर नगर में तैनात आपदा विशेषज्ञ, श्री कृष्णा गुप्ता के माह अगस्त, 2021 से दिसम्बर, 2021 (05 माह) का मानदेय दिये जाने हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021–22 के अनुदान संख्या–51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–2245–प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत–80–सामान्य–800–अन्य व्यय–07–जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण–20–सहायता अनुदान–सामान्य(गैर वेतन) में प्राविधानित धनराशि के अन्तर्गत रूपये 2,50,000 (रूपये दो लाख पचास हजार मात्र) की धनराशि, निम्न शर्तो / प्रतिबन्धों के अधीन जिलाधिकारी, संतकबीर नगर के निवर्तन पर रखे जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

(1) जिस मद में धनराशि स्वीकृत की जा रही है उसी मद में धनराशि का उपयोग किया जाएगा। अन्य किसी भी मद / विभागीय कार्य हेतु धनराशि का व्यय कदापि न किया जाय।

(2) जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण द्वारा उक्त धनराशि के आहरण एवं व्यय के सम्बन्ध में वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 के नियम–209 तथा चैप्टर–1 के संलग्नक–ए में निहित प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(3) आपदा प्रबन्ध अधिनियम–2005 में उल्लिखित जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण के प्राविधानों के अनुसार धनराशि का आहरण / व्यय किया जाएगा।

(4) व्यय की गई धनराशि का महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाएगा और महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाएगा।

(5) उक्त स्वीकृत धनराशि का उपभोग प्रमाण–पत्र वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड–5 भाग–1 के प्रस्तर–359–एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या–42आई में शासन को उपलब्ध कराया जाय।

(6) स्वीकृत धनराशियों के उपयोग / समर्पण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या–यू0ओ0–2 / 1–11–2013–रा0–11, दिनांक 04.03.2013 का अनुपालन किया जाएगा शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि में से यदि कोई बचत / अवशेष की स्थिति बनती है तो उसे वित्तीय वर्ष के समापन / दिनांक 31.03.2022 से पूर्व शासन को नियमानुसार समर्पित कर दिया जाय।

2– उक्त स्वीकृत रूपये 2,50,000 (रूपये दो लाख पचास हजार मात्र) की धनराशि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021–22 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–2245–प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत–80–सामान्य–800–अन्य व्यय–07–जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण–20–सहायता अनुदान–सामान्य(गैर वेतन) के नामे डाला जाएगा।

भवदीय,

Manoj 17.1.22

(मनोज कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या–119(1) / 33(79) / 2015टीसी तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी
2. अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण, पिकप भवन, गोमतीनगर, लखनऊ।
3. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी कार्यालय राहत आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
5. मुख्य कोषाधिकारी, जनपद–संतकबीर नगर।
6. वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–5
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(मनोज कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2021-2022
आवंटन दिनांक-18/01/2022

प्रेषण संख्या:- 119
आवंटन आदेश संख्या:- 188-2021-2022
अनुदान संख्या:- 51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2021-2022 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत(आयोजनेत्तर-मतदेय)
80 - सामान्य
800 - अन्य व्यय
07 - जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	योग
1	संत कबीर नगर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	250000 350000	250000 350000
	योग	वर्तमान प्रगामी	250000 350000	250000 350000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया दो लाख पचास हजार
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया तीन लाख पचास हजार

(अखिलेश प्रताप सिंह)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
(अखिलेश प्रताप सिंह)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
राहत आयुक्त कार्यालय
उ० प्र० शासन।